न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 079/2019

बिमलादेवी पुत्री माईधन पत्नी निका सिंह कोम जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल आबाद पकाकलां तहसील तलवंडी जिला भटिण्डा पंजाब।

प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1	श्री चिमनलाल दुआ	अधिवक्ता प्रार्थी
2	राजपैरोकार	अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 19.1.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 17 एसडीएस की जमबांदी तहसील सादुलशर संवत् 2069–2072 के खाता संख्या 75/62 में 1.265 है0 रकबा जो कि राजस्व रिकार्ड में विमल देवी पुत्री माईधन जाति जाट साकिन राजपुरिया नाम से दर्ज है। उक्त रकबा प्रार्थीया को अपने पीहर पक्ष से विरास्तन प्राप्त है। प्रार्थीया का नाम राशनकार्ड आधारा कार्ड, परिचय पत्र में बिमलादेवी पत्नी निका सिंह जाति जाट साकिन पकाकलां तहसील तलवंडी जिला भटिण्डा दर्ज है। चक 17 एसडीएस की जमाबंदी तहसील सादुलशहर संवत 2069–2072 के खाता संख्या 75/62 में 1.265 है0 रकबा जो कि राजस्व रिकार्ड में विमलदेवी पुत्री माईधन जाति जाट साकिन राजपुरिया नाम से दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को बैंक लोन लेने तथा अन्य सरकारी सुविधाएं लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पडता है। प्रार्थीया के नाम के साथ पिता का नाम दर्ज होने के कारण तथा आधार कार्ड में प्रार्थीया के साथ पति का नाम होने के कारण प्रार्थीया को पूर्व में तहसील सादुलशहर से मुआवजा राशि नही मिल सकी। प्रार्थीया जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाकर बिमलादेवी पुत्री माईधन पत्नी निका सिंह जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर हाल आबाद पकाकलां तहसील तलवंडी जिला भटिण्डा करवाना चाहती है। प्रार्थीया का सही नाम बिमलादेवी पुत्री माईधन पत्नी निका सिंह जाति जाट साकिन पकाकलां तहसील तलवंडी जिला भटिण्डा है व राशनकार्ड आधार कार्ड, परिचय पत्र में भी प्रार्थीया का नाम बिमलादेवी पत्नी निका सिंह है। फोटो प्रति परिचय पत्र, आधार कार्ड व राशनकार्ड संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थीया कुछ रोज पूर्व तहसीदार महोदय के पास जमाबंदी में नाम दुरूस्त करवाने के लिये पेश हुई तो उन्होंने नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया कहा कि आप उपखण्डाधिकारी महोदय से आदेश लेकर आओ तभी आपका नाम दुरूस्त होगा। प्रार्थना पत्र दुरूस्ती का है इससे अन्य सहकाश्तकारानका कोई हित प्रभावित नही होता है। इसलिऐ प्रार्थनापत्र में उनकों पक्षकार नही बनाया गया है।

Scanned with CamScanner